



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082026-275731
CG-DL-E-25082026-275731

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4497]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948

No. 4497]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4682(अ).— जबकि, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4531(अ) दिनांक 18 दिसंबर, 2019, के द्वारा केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 130ए को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को सौंप दिया है।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 130ए के किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 70.200 तक बिलासपुर से उर्गा खंड के चार या अधिक लेन वाले खंड के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 68.086 किमी की निचल सड़क लंबाई और 21.14 किमी (संरचनाओं की वास्तविक लंबाई 2.114 किमी है) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक) के लिए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर शुल्क उद्गृहीत करती है एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संगृहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी - 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क की दूरी हेतु शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात: -

सारणी - 2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क देय है	वह दर जिस पर शुल्क देय है
छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में शंकर गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 18+950 पर (एमसीडब्ल्यू के दोनों ओर)	नीचे दी गई सारणी -3 में दूरी मैट्रिक्स के अनुसार	उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में चारपारा गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 28+140 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)		
छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में चारपारा गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 29+100 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)		
छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में गुमिया गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 53+470 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)		
छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में उर्गा गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 62+680 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)		
छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में उर्गा गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 63+210 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)		
छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में चितापाली गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 69+850 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)		

सारणी - 3

निचल सड़क लंबाई के लिए दूरी मैट्रिक्स (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)

क्र.सं.	से	छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में शंकर गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 18+950 पर (एमसीडब्ल्यू के दोनों ओर)	छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में चारपारा गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 28+140 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)	छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में चारपारा गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 29+100 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में गुमिया गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 53+470 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में उर्गा गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 62+680 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में उर्गा गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 63+210 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में चितापाली गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 69+850 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)
1	छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में शंकर गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 18+950 पर (एमसीडब्ल्यू के दोनों ओर)	0	27.366	28.326	52.696	60.891	61.271	68.086
2	छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में चारपारा गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 28+140 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)	27.366	0	0.960	25.330	33.525	33.905	40.720
	छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर	28.326	0.960	0	24.370	32.565	32.945	39.760

3	जिले में चारपारा गांव के पास एनएच- 130ए के किलोमीटर/चे नेज 29+100 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)							
4	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में गुमिया गांव के पास एनएच- 130ए के किलोमीटर/ चेनेज 53+470 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)	52.696	25.330	24.370	0	8.195	8.575	15.390
5	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में उर्गा गांव के पास एनएच- 130ए के किलोमीटर/चे नेज 62+680 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)	60.891	33.525	32.565	8.195	0	0.380	7.195
6	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में उर्गा गांव के पास एनएच- 130ए के किलोमीटर /चेनेज 63+210 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)	61.271	33.905	32.945	8.575	0.380	0	6.815

7	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में चितापा ली गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 69+850 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)	68.086	40.720	39.760	15.390	7.195	6.815	0
---	---	--------	--------	--------	--------	-------	-------	---

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा :-

सारणी-4			
शुल्क प्लाजा (चेनेज) का स्थान	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लंबाई (कि.मी. में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	वह दर जिस पर शुल्क देय है
(1)	(2)	(3)	(4)
छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में शंकर गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 18+950 पर (दोनों ओर एम एल पर)	नीचे दी गई सारणी -5 में 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं के लिए दूरी मैट्रिक्स के अनुसार।	नीचे दी गई तालिका-5क में संरचनाओं के लिए दूरी मैट्रिक्स का 10 गुना	उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में चारपारा गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 28+140 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)			
छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में चारपारा गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 29+100 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)			
छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में गुमिया गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 53+470 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)			
छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में उर्गा गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 62+680 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)			
छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में उर्गा गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 63+210 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)			

छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में चितापाली गांव के पास एनएच-130ए के किलोमीटर/चेनेज 69+850 पर (एसआर पर बाएँ + दाएँ)			
--	--	--	--

सारणी-5							
शुल्क प्लाज़ा के बीच संरचनाओं* (60 मीटर से अधिक लंबाई) की सड़क की लंबाई के लिए दूरी मैट्रिक्स							
से/तक	किमी 18+950	किमी 28+140	किमी 29+100	किमी 53+470	किमी 62+680	किमी 63+210	किमी 69+850
किमी 18+950	0	0.774	0.774	0.774	1.789	1.939	2.114
किमी 28+140	0.774	0	0	0	1.015	1.165	1.34
किमी 29+100	0.774	0	0	0	1.015	1.165	1.34
किमी 53+470	0.774	0	0	0	1.015	1.165	1.34
किमी 62+680	1.789	1.015	1.015	1.015	0	0.15	0.325
किमी 63+210	1.939	1.165	1.165	1.165	0.15	0	0.175
किमी 69+850	2.114	1.34	1.34	1.34	0.325	0.175	0

* विवरण निम्नलिखित हैं:-

सारणी-5क			
चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
किमी से	किमी तक		
1+540	1+840	मुख्य पुल	0.300
7+080	7+155	मुख्य पुल	0.075
16+072	16+192	मुख्य पुल	0.120
57+399	57+558	मुख्य पुल	0.159
58+888	59+668	मुख्य पुल	0.780
59+983	60+059	मुख्य पुल	0.076
5+825	5+939	आरओबी	0.114
63+850	64+025	आरओबी	0.175
0+934	1+099	फ्लाईओवर	0.165
62+944	63+094	फ्लाईओवर	0.150
कुल			2.114

सारणी-5ख
शुल्क प्लाज़ाओं के बीच संरचनाओं (60 मीटर से अधिक लंबाई) की लंबाई में 10 के गुणांक के लिए दूरी मैट्रिक्स

से / तक	किमी 18+950	किमी 28+140	किमी 29+100	किमी 53+470	किमी 62+680	किमी 63+210	किमी 69+850
किमी 18+950	0	7.74	7.74	7.74	17.89	19.39	21.14
किमी 28+140	7.74	0	0	0	10.15	11.65	13.4
किमी 29+100	7.74	0	0	0	10.15	11.65	13.4
किमी 53+470	7.74	0	0	0	10.15	11.65	13.4
किमी 62+680	17.89	10.15	10.15	10.15	0	1.5	3.25
किमी 63+210	19.39	11.65	11.65	11.65	1.5	0	1.75
किमी 69+850	21.14	13.4	13.4	13.4	3.25	1.75	0

3. निवल प्रभावी लंबाई (टोल योग्य कुल सड़क लंबाई) जिसके लिए निम्नलिखित शुल्क देय और संदेय होगा:-

सारणी-6 (सारणी 3 + सारणी 5ख)							
से / तक	किमी 18+950	किमी 28+140	किमी 29+100	किमी 53+470	किमी 62+680	किमी 63+210	किमी 69+850
किमी 18+950	0	35.106	36.066	60.436	78.781	80.661	89.226
किमी 28+140	35.106	0	0.96	25.33	43.675	45.555	54.12
किमी 29+100	36.066	0.96	0	24.37	42.715	44.595	53.16
किमी 53+470	60.436	25.33	24.37	0	18.345	20.225	28.79
किमी 62+680	78.781	43.675	42.715	18.345	0	1.88	10.445
किमी 63+210	80.661	45.555	44.595	20.225	1.88	0	8.565
किमी 69+850	89.226	54.12	53.16	28.79	10.445	8.565	0

4. विभिन्न प्रकार के यातायात आवागमन जिनके लिए तय की गई दूरी के आधार पर निम्नलिखित प्रयोक्ता शुल्क लिया जाएगा:

सारणी-7क : बिलासपुर से उरगा तक बाई ओर चलने वाला यातायात			
क्र.सं.	किमी	से प्रवेश	पर निकास
(1)	(2)	(3)	(4)
एमसीडब्ल्यू टोल प्लाजा और निकास रैम्प प्लाजा			
1	छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में संकर गांव के पास एनएच-130ए के किमी/चेनेज 18+950 पर (एमसीडब्ल्यू पर दोनों तरफ)	एनएच-130ए के चेनेज 0.00 से प्रवेश चेनेज 18+950 (एमसीडब्ल्यू टोल प्लाजा) पर दर्ज किया गया है।	छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में चारपारा गांव के पास एनएच-130ए के चेनेज 28+140 के रैम्प प्लाजा पर निकास। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में गुमिया गांव के पास एनएच-130ए के चेनेज 53+470 के रैम्प प्लाजा पर निकास। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में उरगा गांव के पास एनएच-130ए के चेनेज 62+680 के रैम्प प्लाजा पर निकास। चेनेज 70+200 किमी अर्थात् अंतिम बिंदु पर निकास।
रैम्प प्लाजा			

2	छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में चारपारा गांव के पास एनएच-130ए के किमी/चेनेज 28+140 पर	एनएच-130ए के चेनेज 0.00 से प्रवेश।	छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में चारपारा गांव के पास एनएच-130ए के चेनेज 28+140 के रैम्प प्लाजा पर निकास।
3	छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में चारपारा गांव के पास एनएच-130ए के किमी/चेनेज 29+100 पर।	एनएच-130ए के चेनेज 29+100 किमी पर प्रवेश रैम्प प्लाजा।	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में गुमिया गांव के पास एनएच-130ए के चेनेज 53+470 के रैम्प प्लाजा पर निकास। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में उरगा गांव के पास एनएच-130ए के चेनेज 62+680 के रैम्प प्लाजा पर निकास। चेनेज 70+200 किमी अर्थात अंतिम बिंदु पर निकास।
4	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में गुमिया गांव के पास एनएच-130ए के किमी/चेनेज 53+470 पर	एनएच-130ए के चेनेज 0.00 से प्रवेश। एनएच-130ए के चेनेज 29+100 किमी पर प्रवेश रैम्प प्लाजा।	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में गुमिया गांव के पास एनएच-130ए के चेनेज 53+470 के रैम्प प्लाजा पर निकास।
5	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में उरगा गांव के पास एनएच-130ए के किमी/चेनेज 62+680 पर	एनएच-130ए के चेनेज 0.00 से प्रवेश। एनएच-130ए के चेनेज 29+100 किमी पर प्रवेश रैम्प प्लाजा।	एनएच-130ए के चेनेज 62+680 के रैम्प प्लाजा पर निकास।
6	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में उरगा गांव के पास एनएच-130ए के किमी/चेनेज 63+210 पर	एनएच-130ए के चेनेज 63+210 किमी पर प्रवेश रैम्प प्लाजा।	चेनेज 70+200 किमी अर्थात अंतिम बिंदु पर निकास।
7	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में चीतापाली गांव के पास एनएच-130ए के किमी/चेनेज 69+850 पर	एनएच-130ए के चेनेज 69+850 किमी पर प्रवेश रैम्प प्लाजा।	चेनेज 70+200 किमी अर्थात अंतिम बिंदु पर निकास।

सारणी-7ख : उरगा से बिलासपुर तक दाईं ओर चलने वाला यातायात			
क्र.सं.	किमी	से प्रवेश	पर निकास
(1)	(2)	(3)	(4)
एमसीडब्ल्यू टोल प्लाजा और प्रवेश रैम्प प्लाजा			
1	छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में संकर गांव के पास एनएच-130ए के किमी/चेनेज 18+950 पर (एमसीडब्ल्यू पर दोनों तरफ)	एनएच-130ए के चेनेज 70+200 अर्थात अंतिम बिंदु से प्रवेश। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में उरगा गांव के पास एनएच-130ए के चेनेज 62+680 पर रैम्प प्लाजा से प्रवेश। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में गुमिया गांव के पास एनएच-130ए के चेनेज 53+470 पर रैम्प प्लाजा से प्रवेश।	एनएच-130ए के चेनेज 0.00 पर निकास।

		छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में चारपारा गांव के पास एनएच-130ए के चेनेज 28+140 पर रैम्प प्लाजा से प्रवेश।	
रैम्प प्लाजा			
2	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में चीतापाली गांव के पास एनएच-130ए के किमी/चेनेज 69+850 पर।	एनएच-130ए के चेनेज 70+200 अर्थात् अंतिम बिंदु से प्रवेश।	एनएच-130ए के चेनेज 69+850 किमी पर निकास रैम्प प्लाजा।
3	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में उरगा गांव के पास एनएच-130ए के किमी/चेनेज 63+210 पर	एनएच-130ए के चेनेज 70+200 अर्थात् अंतिम बिंदु से प्रवेश।	एनएच-130ए के चेनेज 63+210 किमी पर निकास रैम्प प्लाजा।
4	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में उरगा गांव के पास एनएच-130ए के किमी/चेनेज 62+680 पर	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में उरगा गांव के पास एनएच-130ए के चेनेज 62+680 पर रैम्प प्लाजा से प्रवेश।	छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में चारपारा गांव के पास एनएच-130ए के चेनेज 29+100 पर निकास रैम्प प्लाजा। एनएच-130ए के चेनेज 0.00 से निकास।
5	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में गुमिया गांव के पास एनएच-130ए के किमी/चेनेज 53+470 पर	छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में गुमिया गांव के पास एनएच-130ए के चेनेज 53+470 पर रैम्प प्लाजा से प्रवेश।	छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में चारपारा गांव के पास एनएच-130ए के चेनेज 29+100 पर निकास रैम्प प्लाजा। एनएच-130ए के चेनेज 0.00 पर निकास।
6	छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में चारपारा गांव के पास एनएच-130ए के किमी/चेनेज 29+100 पर	एनएच-130ए के चेनेज 70+200 अर्थात् अंतिम बिंदु से प्रवेश। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में उरगा गांव के पास एनएच-130ए के चेनेज 62+680 पर रैम्प प्लाजा से प्रवेश। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में गुमिया गांव के पास एनएच-130ए के चेनेज 53+470 पर रैम्प प्लाजा से प्रवेश।	एनएच-130ए के चेनेज 29+100 किमी पर निकास रैम्प प्लाजा।
7	छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में चारपारा गांव के पास एनएच-130ए के किमी/चेनेज 28+140 पर	छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर जिले में चारपारा गांव के पास एनएच-130ए के चेनेज 28+140 पर रैम्प प्लाजा से प्रवेश।	एनएच-130ए के चेनेज 0.00 पर निकास।

5. उपरोक्त क्र. सं. 4 के तहत उल्लेखित विवरण के अनुसार, किसी भी मुख्य टोल प्लाजा/रैम्प प्लाजा से प्रवेश करने वाले वाहन की प्रविष्टि प्रवेश शुल्क प्लाजा पर की जाएगी और निकास एवं प्रवेश शुल्क प्लाजा के बीच वाहन द्वारा उपयोग किए गए सड़क खंड के लिए उपयोगकर्ता शुल्क निकास रैम्प प्लाजा/मुख्य टोल प्लाजा पर संग्रहीत किया जाएगा।

6. राजमार्ग खंड पर बहुयात्राओं के लिए, निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्:-

सारणी-8		
संदेय धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना*	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई*	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

*बशर्ते कि वापसी यात्रा करते समय उपयोगकर्ता प्रवेश और निकास के लिए समान शुल्क प्लाजा का उपयोग करे।

7. किसी ऐसे यांत्रिक वाहन का चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति, जो अपनी श्रेणी के लिए निर्दिष्ट अनुमेय भार से अधिक भरा हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरलोडेड वाहन में प्रवेश करने के लिए शुल्क एकत्र करने वाली एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 में निर्दिष्ट शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों का श्रेणी, इसके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों का श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
10. यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि उपर्युक्त सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूट की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत **2523.86 करोड़ रुपए** है। [चूंकि भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है]। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा.सं. बीएम-14/2/2024-पीआईयू बिलासपुर (ई-262666)]
सी.एन. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4682(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S. S.O. 4531(E) dated the 18th December, 2019 issued under section 5 of the National Highways Act 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the new National Highway No. 130A situated within the State of Chhattisgarh, to the State Government of Chhattisgarh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified

in column (2) of Table-1 for net road length of 68.086 km and for equivalent structure length (having length more than 60 m) of 21.14 km (actual length of structures being 2.114 km), on the type of vehicles specified in column (1) of Table-1 below, for use of four or more lane section of the Bilaspur to Urga Section from kilometre 0.000 to kilometre 70.200 of National Highway No. 130A in the State of Chhattisgarh, and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 18+950 of NH-130A near village Sankar in Janjgir District of State Chhattisgarh (Both Sides on MCW)	As per the distance matrix in Table3 below	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km/Ch. 28+140 of NH-130A near village Charpara in Janjgir District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)		
At Km/Ch. 29+100 of NH-130A near village Charpara in Janjgir District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)		
At Km/Ch. 53+470 of NH-130A near village Gumiya in Korba District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)		
At Km/Ch. 62+680 of NH-130A near village Urga in Korba District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)		
At Km/Ch. 63+210 of NH-130A near village Urga in Korba District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)		
At Km/Ch. 69+850 of NH-130A near village Chitapali in Korba District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)		
Table-3		
Distance matrix for net road length (excluding Structures of length more than 60 m)		

S.No.	From	At Km/Ch. 18+950 of NH-130A near village Sankar in Janjgir District of State Chhattisgarh (Both Sides on MCW)	At Km/Ch. 28+140 of NH-130A near village Charpara in Janjgir District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)	At Km/Ch. 29+100 of NH-130A near village Charpara in Janjgir District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)	At Km/Ch. 53+470 of NH-130A near village Gumiya in Korba District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)	At Km/Ch. 62+680 of NH-130A near village Urga in Korba District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)	At Km/Ch. 63+210 of NH-130A near village Urga in Korba District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)	At Km/Ch. 69+850 of NH-130A near village Chitapali in Korba District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)
1	At Km/Ch. 18+950 of NH-130A near village Sankar in Janjgir District of State Chhattisgarh (Both Sides on MCW)	0	27.366	28.326	52.696	60.891	61.271	68.086
2	At Km/Ch. 28+140 of NH-130A near village Charpara in Janjgir District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)	27.366	0	0.960	25.330	33.525	33.905	40.720
3	At Km/Ch. 29+100 of NH-130A near village Charpara in Janjgir District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)	28.326	0.960	0	24.370	32.565	32.945	39.760
4	At Km/Ch. 53+470 of NH-130A near village Gumiya in Korba District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)	52.696	25.330	24.370	0	8.195	8.575	15.390

5	At Km/Ch. 62+680 of NH-130A near village Uрга in Korba District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)	60.891	33.525	32.565	8.195	0	0.380	7.195
6	At Km/Ch. 63+210 of NH-130A near village Uрга in Korba District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)	61.271	33.905	32.945	8.575	0.380	0	6.815
7	At Km/Ch. 69+850 of NH-130A near village Chitapali in Korba District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)	68.086	40.720	39.760	15.390	7.195	6.815	0

2. In addition to the above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:-

Table-4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
(1)	(2)	(3)	(4)
At Km/Ch. 18+950 of NH-130A near village Sankar in Janjgir District of State Chhattisgarh (Both Sides on ML)	As per the distance matrix for structures of length more than 60 m at Table-5 below	10 times of the distance matrix for structures at Table-5B below	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km/Ch. 28+140 of NH-130A near village Charpara in Janjgir			

District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)			
At Km/Ch. 29+100 of NH-130A near village Charpara in Janjgir District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)			
At Km/Ch. 53+470 of NH-130A near village Gumiya in Korba District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)			
At Km/Ch. 62+680 of NH-130A near village Urga in Korba District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)			
At Km/Ch. 63+210 of NH-130A near village Urga in Korba District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)			
At Km/Ch. 69+850 of NH-130A near village Chitapali in Korba District of State Chhattisgarh (LHS + RHS on SR)			

Table-5							
Distance matrix for road length of Structures* (length more than 60 m) between Fee Plazas							
From / To	Km 18+950	Km 28+140	Km 29+100	Km 53+470	Km 62+680	Km 63+210	Km 69+850
Km 18+950	0	0.774	0.774	0.774	1.789	1.939	2.114
Km 28+140	0.774	0	0	0	1.015	1.165	1.34
Km 29+100	0.774	0	0	0	1.015	1.165	1.34
Km 53+470	0.774	0	0	0	1.015	1.165	1.34
Km 62+680	1.789	1.015	1.015	1.015	0	0.15	0.325
Km 63+210	1.939	1.165	1.165	1.165	0.15	0	0.175
Km 69+850	2.114	1.34	1.34	1.34	0.325	0.175	0

* The details are as under:-

Table-5A			
Chainage		Type of Structure	Length (in km)
From Km	To Km		
1+540	1+840	Major Bridge	0.300
7+080	7+155	Major Bridge	0.075
16+072	16+192	Major Bridge	0.120
57+399	57+558	Major Bridge	0.159
58+888	59+668	Major Bridge	0.780
59+983	60+059	Major Bridge	0.076
5+825	5+939	ROB	0.114
63+850	64+025	ROB	0.175
0+934	1+099	Flyover	0.165
62+944	63+094	Flyover	0.150
Total			2.114
Table-5B			

Distance matrix for length of Structures (length more than 60 m) between Fee Plazas by multiply of 10							
From / To	Km 18+950	Km 28+140	Km 29+100	Km 53+470	Km 62+680	Km 63+210	Km 69+850
Km 18+950	0	7.74	7.74	7.74	17.89	19.39	21.14
Km 28+140	7.74	0	0	0	10.15	11.65	13.4
Km 29+100	7.74	0	0	0	10.15	11.65	13.4
Km 53+470	7.74	0	0	0	10.15	11.65	13.4
Km 62+680	17.89	10.15	10.15	10.15	0	1.5	3.25
Km 63+210	19.39	11.65	11.65	11.65	1.5	0	1.75
Km 69+850	21.14	13.4	13.4	13.4	3.25	1.75	0

3. The net effective length (total tollable road length) for which fee shall be due and payable is as under:-

Table-6 (Table 3+Table 5B)							
From / To	Km 18+950	Km 28+140	Km 29+100	Km 53+470	Km 62+680	Km 63+210	Km 69+850
Km 18+950	0	35.106	36.066	60.436	78.781	80.661	89.226
Km 28+140	35.106	0	0.96	25.33	43.675	45.555	54.12
Km 29+100	36.066	0.96	0	24.37	42.715	44.595	53.16
Km 53+470	60.436	25.33	24.37	0	18.345	20.225	28.79
Km 62+680	78.781	43.675	42.715	18.345	0	1.88	10.445
Km 63+210	80.661	45.555	44.595	20.225	1.88	0	8.565
Km 69+850	89.226	54.12	53.16	28.79	10.445	8.565	0

4. The various types of traffic movement for which the user fee will be charged on the basis of distance travelled are as under:

Table-7A : Traffic plying on LHS from Bilaspur to Urga			
S.No.	Km	Entry From	Exit To
(1)	(2)	(3)	(4)
MCW Toll Plaza & Exit Ramp Plaza			
1	At Km/Ch. 18+950 of NH-130A near village Sankar in Janjgir District of State Chhattisgarh (Both Sides on MCW)	Entry from Ch. 0.00 of NH-130A is recorded at Ch. 18+950 (MCW Toll Plaza).	Exit at Ramp Plaza @ Ch. 28+140 of NH-130A near village Charpara in Janjgir District of State Chhattisgarh.
			Exit at Ramp Plaza @ Ch. 53+470 of NH-130A near village Gumiya in Korba District of State Chhattisgarh.
			Exit at Ramp Plaza @ Ch. 62+680 of NH-130A near village Urga in Korba District of State Chhattisgarh.
			Exit @ Ch. 70+200 km i.e. end point.

Ramp Plaza			
2	At Km/Ch. 28+140 of NH-130A near village Charpara in Janjgir District of State Chhattisgarh	Entry from Ch. 0.00 of NH-130A.	Exit at Ramp Plaza @ Ch. 28+140 of NH-130A near village Charpara in Janjgir District of State Chhattisgarh.
3	At Km/Ch. 29+100 of NH-130A near village Charpara in Janjgir District of State Chhattisgarh.	Entry Ramp Plaza @ Ch. 29+100 Km of NH-130A.	Exit at Ramp Plaza @ Ch. 53+470 of NH-130A near village Gumiya in Korba District of State Chhattisgarh.
			Exit at Ramp Plaza @ Ch. 62+680 of NH-130A near village Urga in Korba District of State Chhattisgarh.
			Exit @ Ch. 70+200 km i.e. end point.
4	At Km/Ch. 53+470 of NH-130A near village Gumiya in Korba District of State Chhattisgarh	Entry from Ch. 0.00 of NH-130A.	Exit at Ramp Plaza @ Ch. 53+470 of NH-130A near village Gumiya in Korba District of State Chhattisgarh.
		Entry Ramp Plaza @ Ch. 29+100 Km of NH-130A.	
5	At Km/Ch. 62+680 of NH-130A near village Urga in Korba District of State Chhattisgarh	Entry from Ch. 0.00 of NH-130A.	Exit at Ramp Plaza @ Ch. 62+680 of NH-130A.
		Entry Ramp Plaza @ Ch. 29+100 Km of NH-130A.	
6	At Km/Ch. 63+210 of NH-130A near village Urga in Korba District of State Chhattisgarh	Entry Ramp Plaza @ Ch. 63+210 Km of NH-130A.	Exit @ Ch. 70+200 km i.e. end point.
7	At Km/Ch. 69+850 of NH-130A near village Chitapali in Korba District of State Chhattisgarh	Entry Ramp Plaza @ Ch. 69+850 Km of NH-130A.	Exit @ Ch. 70+200 km i.e. end point.

Table-7B : Traffic plying on RHS from Urga to Bilaspur

S.No.	Km	Entry From	Exit To
(1)	(2)	(3)	(4)
MCW Toll Plaza & Entry Ramp Plaza			
1	At Km/Ch. 18+950 of NH-130A near village Sankar in Janjgir District of State Chhattisgarh (Both Sides on MCW)	Entry from Ch. 70+200 of NH-130A i.e. end point.	Exit @ Ch. 0.00 of NH-130A.
		Entry from Ramp Plaza @ Ch. 62+680 of NH-130A near village Urga in Korba District of State Chhattisgarh.	
		Entry from Ramp Plaza @ Ch. 53+470 of NH-130A near village Gumiya in Korba District of State Chhattisgarh.	
		Entry from Ramp Plaza @ Ch. 28+140 of NH-130A near village Charpara in Janjgir District of State Chhattisgarh.	
Ramp Plaza			
	At Km/Ch. 69+850 of NH-130A near village Chitapali in	Entry from Ch. 70+200 of NH-130A i.e. end point.	Exit Ramp Plaza @ Ch. 69+850 km of NH-130A.

2	Korba District of State Chhattisgarh.		
3	At Km/Ch. 63+210 of NH-130A near village Urga in Korba District of State Chhattisgarh	Entry from Ch. 70+200 of NH-130A i.e. end point.	Exit Ramp Plaza @ Ch. 63+210 km of NH-130A.
4	At Km/Ch. 62+680 of NH-130A near village Urga in Korba District of State Chhattisgarh	Entry from Ramp Plaza @ Ch. 62+680 of NH-130A near village Urga in Korba District of State Chhattisgarh.	Exit Ramp Plaza @ Ch. 29+100 of NH-130A near village Charpara in Janjgir District of State Chhattisgarh. Exit from Ch. 0.00 of NH-130A.
5	At Km/Ch. 53+470 of NH-130A near village Gumiya in Korba District of State Chhattisgarh	Entry from Ramp Plaza @ Ch. 53+470 of NH-130A near village Gumiya in Korba District of State Chhattisgarh.	Exit Ramp Plaza @ Ch. 29+100 of NH-130A near village Charpara in Janjgir District of State Chhattisgarh. Exit @ Ch. 0.00 of NH-130A.
6	At Km/Ch. 29+100 of NH-130A near village Charpara in Janjgir District of State Chhattisgarh	Entry from Ch. 70+200 of NH-130A i.e. end point. Entry from Ramp Plaza @ Ch. 62+680 of NH-130A near village Urga in Korba District of State Chhattisgarh. Entry from Ramp Plaza @ Ch. 53+470 of NH-130A near village Gumiya in Korba District of State Chhattisgarh.	Exit Ramp Plaza @ Ch. 29+100 km of NH-130A.
7	At Km/Ch. 28+140 of NH-130A near village Charpara in Janjgir District of State Chhattisgarh	Entry from Ramp Plaza @ Ch. 28+140 of NH-130A near village Charpara in Janjgir District of State Chhattisgarh.	Exit @ Ch. 0.00 of NH-130A.

5. The vehicle entering from any Main Toll Plaza/Ramp Plaza will be recorded at the entry fee plaza and user fee will be collected at Exit Ramp Plaza/Main Toll Plaza for the road section used by the vehicle between Exit & Entry fee plazas as per detailed mentioned under Sl. No.4.

6. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table-8		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

* Provided that the user uses the same entry and exit fee plazas while performing the return journey.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometre for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper each in English and the vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees **2523.86 crore**. [Since the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed, the capital cost is subject to variation]. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. BM-14/2/2024-PIU Bilaspur (E-262666)]

C.N. SINGH, Jt. Secy.